ादेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद सं. 111/2014	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

जितेन्द्र राय, पिता-नागेन्द्र राय, ग्राम-पहलेजा शाहपुर दियरा थाना-सोनपुर, जिला-सारण वर्तमान पता फायर स्टेशन आजाद रोड चाँदवारा, थाना नगर, जिला मुजफ्फरपुर

आदेश

9/12/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2610/गो0 22.6.13 के द्वारा आवेदक जितेन्द्र राय, पिता-नागेन्द्र राय, ग्राम-पहलेजा शाहपुर दियरा थाना-सोनपुर, जिला-सारण वर्तमान पता फायर स्टेशन आजाद रोड चॉदवारा, थाना नगर, जिला-मुजफ्फरपुर का एक डी.बी.बी.एल. गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि उनके फुफेरा भाई एवं उनके भाई की हत्या अपराधियों के द्वारा की गयी थी, जिससे संबंधित सारी विवरणी पुलिस प्रतिवेदन में अंकित है। अपराधियों से उन्हें तथा उनके परिवार को काफी अधिक खतरा है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 111 दिनांक 16.1.12 एवं डी.आर. 76 दिनांक 19.1.13 अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 939 दिनांक 17.10.12, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर के ज्ञापांक 84/अनु0 दिनांक 18.1.12, के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 2610/गो0 दिनांक 22.6.13 के द्वारा आवेदन पत्र मूल में संलग्न कर अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया। पुनः थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक डी.आर. 129 दिनांक 27.1.14 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 731 दिनांक 8.2.14 के द्वारा प्रेषित है।

पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पिता के भतीजा की हत्या अपराधियों के द्वारा 2010 में की गयी थी, जिससे संबंधित सोनपुर थाना कांड सं0 3/10 दिनांक

2.1.10 धारा–147, 148, 149, 302, 120 (बी) भादवि एवं 27 शस्त्र अधिनियम दर्ज की गयी है। इस कांड के चश्मदीद गवाह आवेदक के भाई थे। उनकी भी हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गयी, जिससे संबंधित सोनपुर थाना कांड सं0 373/11 दिनांक 6.10.11 धारा–302, 120 (बी), 34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज की गयी है। आवेदक एवं इनके परिवार को अभी भी इन अपराधियों से खतरे की प्रबल आशंका है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस अधीक्षक, सारण के द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के उपर व्याप्त खतरे के मद्देनजर उन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक जितेन्द्र राय, पिता–नागेन्द्र राय, ग्राम–पहलेजा शाहपुर दियरा थाना–सोनपुर, जिला–सारण वर्तमान पता फायर स्टेशन आजाद रोड चॉदवारा, थाना नगर, जिला– मुजफ्फरपुर को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक डी.बी.बी.एल. गन की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 28 /न्या०, दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

13/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

13/1/15